

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)  
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप. प्रक. क.-392 / 2010

संस्थित दिनांक-26.06.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

विरुद्ध

1. परमानन्द पिता मेहतर, उम्र 32 साल, जाति बंजारी,  
निवासी माटे थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. ईशलाल पिता मेहतर, उम्र 34 साल, जाति बंजारी,  
निवासी माटे थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. सरस्वतीबाई पति मेहतर, उम्र 54 साल, जाति बंजारी,  
निवासी माटे थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक - 18 / 12 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 332 / 34, 506(भाग-2) का आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक 14 / 06 / 2010 को समय 05:00 बजे स्थान सेमरहीनाला की पुलिया के पास ग्राम माटे थाना बिरसा के अन्तर्गत लोकस्थान में फरियादी अंतुलाल खैरवार को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत अंतुलाल खैरवार जो लोकसेवक है को हाथ मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित

किया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अंतुलाल खैरवार ने दिनांक 14/06/2010 को आरक्षी केन्द्र बिरसा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि ग्राम पंचायत माटे में वह सचिव के पद पर कार्यरत रहते हुये शासन की ओर से जल अभिषेक सूखा राहत योजना के तहत स्टाप डेम का निर्माण कार्य विधिवत् तारीखे से दिनांक 14/06/2010 को शाम के 05:00 मजदूरों से कार्य करा रहा था तभी ग्राम माटे के परमानन्द, ईशुलाल तथा सरस्वती आये और उससे बोले कि पाल में मिट्टी को नहीं डाले तो उसने बोला कि पानी जाने के लिये रास्ता कहां से रहेगा। इसी बात पर से आरोपीगण उसे व हेमसिंह को माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गालियाँ देने लगे तथा उसके साथ हाथ-मुक्के से मारपीट करने लगे। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 57/10 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 186, 353, 332, 506, 34 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 186, 353, 332, 506, 34 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपीगण को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 332/34, 506 (भाग-2) का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपीगण का बचाव है कि वह निर्दोष हैं फरियादी ने रंजिश वश उसके विरुद्ध पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उन्हें झूठा फंसाया है।

(05) आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपीगण ने दिनांक 14/06/2010 को समय 05:00 बजे स्थान सेमरहीनाला की पुलिया के पास ग्राम माटे थाना बिरसा के अन्तर्गत लोकस्थान में फरियादी अंतुलाल खैरवार को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने

वालो को क्षोभ कारित किया ?

(2) क्या आरोपीगण ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी जो लोक सेवक है को उपहति कारित करने का आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में सह आरोपी के साथ मिलकर फरियादी को हाथ-मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

(3) क्या आरोपीगण ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को सत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु कमांक 1, 2 एवं 3 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु कमांक 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी अंतुलाल (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना दिनांक 14.06.2010 को शाम के लगभग 05:00 बजे वह ग्राम पंचायत के सचिव की हैसियत से सेमराही नाले में निर्माण करा रहा था। आरोपी ईशुलाल ने हेमसिंह मजदूर मेट को मॉ-बहन की गन्दी-गन्दी गालिया दी, जो सुनने में बुरी लग रही थी। उसने ईशुलाल को बोला कि महिलाएं कार्य कर रही हैं कि गाली मत दो तो आरोपी ईशुलाल ने उसकी कालार पकड़कर मुक्का मारकर गिरा दिया, जिससे उसे हाथ, पैर और सीने में चोट आई। आरोपी परमानन्द और सरस्वतीबाई ने उसका अण्डकोश पकड़ लिया और मारपीट की, जिससे उसे छाती में चोट आई। बीच बचाव मजदूरों ने किया। घटना की रिपोर्ट उसने थाने में की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता ए.एल.सरयाम (अ.सा. 12) का कहना है कि उसने दिनांक 14.06.2010 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये फरियादी अंतुलाल के लिखित आवेदन पत्र के आधार पर अपराध क्रमांक 57/14 अन्तर्गत धारा 294, 186, 353, 332, 506, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपीगण के विरुद्ध लेखबद्ध की थी एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता धनराजनंद (अ.सा. 11) का कहना है कि उसे दिनांक 15.06.2010 को अपराध क्रमांक 57/10 धारा 294, 186, 353, 332, 506, 34 भा.दं.वि. की केश डायरी प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल पर जाकर साक्षी संतुलाल खैरवार की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है। साक्षी अंतुलाल, उषा, हेमसिंह, गोवर्धन के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी परमानंद, ईशूलाल एवं सरस्वतीबाई को गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-09, 10 एवं 11 तैयार किया था। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी चालानी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी की ओर प्रेषित की थी।

(09) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी डॉ.एम.मेश्राम (अ.सा. 10) का कहना है कि उसने दिनांक 14.06.2010 को हेमसिंह, पिता बुद्धुसिंह, उम्र 24 साल के चिकित्सीय परीक्षण में किसी प्रकार की चोट होना नहीं पायी थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है तथा आहत अंतुलाल, उम्र 38 साल के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिने हाथ के अंगुठे पर एक खरौंच एवं छाती के दाहिने ओर एक कंटुजन होना पाया था। आहत को आई चोटे साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण के दो से छः घण्टे पूर्व की थीं उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है।

(10) फरियादी के कथनों को समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी हेमसिंह (अ.सा. 2), गोवर्धन (अ.सा. 3) एवं संतुलाल (अ.सा. 4), धरमसिंह (अ.सा. 5) और रामकलीबाई (अ.सा. 6) उषामरावी (अ.सा. 7), बन्दीबाई (अ.सा. 8), इन्द्रकुवरबाई (अ.सा. 9) का भी कहना है कि घटना दिनांक 14.06.2010 को शाम के 05:00 ग्राम पंचायत का काम चल रहा था। आरोपीगण मादर चोद की गालिया दे रहे थे, जो सुनने में बुरी लग रही थी। सचिव ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने

कालार पकड़कर सचिव के साथ मारपीट की थी तो उन्होंने बीचबचाव किया था।

(11) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी ने पुलिस ने मिलकर झूठी रिपोर्ट की है और रंजिश वश झूठे कथन किये हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपीगण को दिया जाये।

(12) आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(13) अभियोजन साक्षी/फरियादी अंतुलाल (अ.सा. 1) का स्पष्ट कहना है कि घटना दिनांक 14.06.2010 को शाम के लगभग 05:00 बजे वह ग्राम पंचायत के सचिव की हैसियत से सेमराही नाले में निर्माण करा रहा था। आरोपी ईशुलाल ने हेमसिंह मजदूर मेट को मॉ-बहन की गन्दी-गन्दी गालिया दी, जो सुनने में बुरी लग रही थी। उसने ईशुलाल को बोला कि महिलाएं कार्य कर रही है कि गाली मत दो तो आरोपी ईशुलाल ने उसकी कालार पकड़कर मुक्का मारकर गिरा दिया, जिससे उसे हाथ, पैर और सीने में चोट आई। आरोपी परमानन्द और सरस्वतीबाई ने उसका अण्डकोश पकड़ लिया और मारपीट की, जिससे उसे छाती में चोट आई। बीच बचाव मजदूरों ने किया। घटना की रिपोर्ट उसने थाने में की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(14) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी/कायमीकर्ता ए.एल.सरयाम (अ.सा. 12) का स्पष्ट कहना है कि उसने दिनांक 14.06.2010 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये फरियादी अंतुलाल के लिखित आवेदन पत्र के आधार पर अपराध क्रमांक 57/14 अन्तर्गत धारा 294, 186, 353, 332, 506, 34 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपीगण के विरुद्ध लेखबद्ध की थी एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता धनराजनंद (अ.सा. 11) का स्पष्ट कहना है कि उसे दिनांक 15.06.2010 को अपराध क्रमांक 57/10 धारा 294, 186, 353, 332, 506, 34 भा.द.वि. की केश डायरी प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल पर



जाकर साक्षी संतुलाल खैरवार की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-02 है। साक्षी अंतुलाल, उषा, हेमसिंह, गोवर्धन के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी परमानंद, ईशूलाल एवं सरस्वतीबाई को गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-09, 10 एवं 11 तैयार किया था। विवेचना पूर्ण कर प्रकरण की डायरी चालानी कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी की ओर प्रेषित की थी। साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(15) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी डॉ.एम.मेश्राम (अ.सा. 10) का स्पष्ट कहना है कि उसने दिनांक 14.06.2010 को हेमसिंह, पिता बुद्धुसिंह, उम्र 24 साल के चिकित्सीय परीक्षण में किसी प्रकार की चोट होना नहीं पायी थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है तथा आहत अंतुलाल, उम्र 38 साल के चिकित्सीय परीक्षण में दाहिने हाथ के अंगुठे पर एक खरौंच एवं छाती के दाहिने ओर एक कंटुजन होना पाया था। आहत को आई चोटे साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण के दो से छः घण्टे पूर्व की थीं उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(16) फरियादी के कथनों को समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी हेमसिंह (अ.सा. 2), गोवर्धन (अ.सा. 3) एवं संतुलाल (अ.सा. 4), धरमसिंह (अ.सा. 5) और रामकलीबाई (अ.सा. 6) उषामरावी (अ.सा. 7), बन्दीबाई (अ.सा. 8), इन्द्रकुवरबाई (अ.सा. 9) का भी स्पष्ट कहना है कि घटना दिनांक 14.06.2010 को शाम के 05:00 ग्राम पंचायत का काम चल रहा था। आरोपीगण मादर चोद की गालिया दे रहे थे, जो सुनने में बुरी लग रही थी। सचिव ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने कालार पकड़कर सचिव के साथ मारपीट की थी तो उन्होंने बीचबचाव किया था। साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी अंतुलाल (अ.सा. 1) एवं कायमीकर्ता ए.एल.सरयाम (अ.सा. 12) तथा विवेचनाकर्ता धनराजनंद (अ.सा. 11) व साक्षी

डॉ.एम.मेश्राम (अ.सा. 10), हेमसिंह (अ.सा. 2), गोवर्धन (अ.सा. 3) एवं संतुलाल (अ.सा. 4), धरमसिंह (अ.सा. 5) और रामकलीबाई (अ.सा. 6) उषामरावी (अ.सा. 7), बन्दीबाई (अ.सा. 8), इन्द्रकुवरबाई (अ.सा. 9) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आया है जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों को अविश्वासनीय कहा जाये। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपीगण ने दिनांक 14/06/2010 को समय 05:00 बजे स्थान सेमरही नाला की पुलिया के पास ग्राम माटे थाना बिरसा के अन्तर्गत लोकस्थान में फरियादी अंतुलाल खैरवार को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत अंतुलाल खैरवार जो लोकसेवक है को हाथ मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने की पुष्टि तो होती है। किन्तु साक्षियों के कथनों से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(18) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 14/06/2010 को समय 05:00 बजे स्थान सेमरही नाला की पुलिया के पास ग्राम माटे थाना बिरसा के अन्तर्गत लोकस्थान में फरियादी अंतुलाल खैरवार को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत अंतुलाल खैरवार जो लोकसेवक है को हाथ मुक्को से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

(19) परिणाम स्वरूप आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 (भाग-2) के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुये दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 332/34 के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(20) प्रकरण में आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपीगण को न्यायिक

अभिरक्षा में लिया गया।

(21) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(22) दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

(23) आरोपीगण के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपीगण मजदूर पेशा व्यक्ति है। अतः उन्हें कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित किया जावे।

(24) आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(25) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(26) आरोपीगण की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपीगण मजदूर पेशा व्यक्ति होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरोपीगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपीगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के आरोप में 01-01 (एक-एक) माह के साधारण कारावास की सजा एवं 500/-, 500/- (पांच-पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332/34 के आरोप में 01-01 (एक-एक) साल के साधारण कारावास की सजा एवं 500/-, 500/- (पांच-पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपीगण को एक-एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।



(27) आरोपीगण द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

(28) निर्णय की एक-एक प्रति आरोपीगण को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित  
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)